

बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि

195. श्री जनेश्वर मिश्र :

श्री निहार लास्कर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन महीनों में रेलवे में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ी है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी रोकथाम के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु बंडोपते) : (क) जी नहीं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें रेलों पर बिना टिकट यात्रा की रोकथाम के लिए किये गये उपाय बनाये गये हैं ।

विवरण

(ख) रेलों पर टिकट जांच संगठन में निम्नलिखित शामिल होने हैं :—

(1) म्याथी टिकट कन्क्टर जिन्हें स्टेशनों के द्वारा पर तैनात करने के लिए नियुक्त किया जाता है वे गाड़ी में चढ़ने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच करते हैं और स्टेशनों पर गाड़ी से उतरने वाले यात्रियों के टिकट एकत्रित करते हैं; और

(2) चल टिकट-परीक्षक जो चलती गाड़ियों में यात्रियों के टिकटों की जांच करते हैं और निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने-अपने खण्डों पर काम करते हैं ।

इन कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली सामान्य जांच के अतिरिक्त बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाते हैं :—

1. बरिष्ठ रेलवे अधिकारियों के पर्यवेक्षण में टिकट जांच कर्मचारियों, रेलवे

सुरक्षा दल, सरकारी रेलवे पुलिस और स्थानीय पुलिस के कर्मचारियों के बड़े दल संगठित करके बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध विशेष प्रभावशाली रोक-थाम की जाती है ।

2. बिना टिकट यात्रा के खिलाफ राज्य सरकारों के साथ समन्वय में संयुक्त अभियान चलाये जाते हैं ।

3. यदा यदा संकेन्द्रित अचानक छापे, विशेष रूप से चल जांच दलों द्वारा ये छापे मटक परिवहन द्वारा यात्रा करके मारे जाते हैं । इन दलों में रेल सुरक्षा दल/पुलिस और रेलवे मजिस्ट्रेट शामिल होते हैं ।

4. चल टिकट परीक्षकों द्वारा सादी पोशाक में गुप्त रूप से जांच ।

5. मुख्यालय और मंडल टिकट जांच दलों द्वारा मार्गवर्ती खंडों पर गाड़ियों को बीच में रोक कर प्रतिस्थापन जांच ।

6. एक रेलवे के जांच कर्मचारियों को दूसरी रेलवे पर लगाना ।

7. यात्री जनता में, विशेष कर विद्यार्थी समुदाय में बिना टिकट यात्रा के विरुद्ध शैक्षणिक प्रचार किया जाता है ।

Victimisation of Employees in Namrup and Gorakhpur Fertilizer Plants

196. SHRI MUKUNDA MANDAL: Will the Minister of PETROLEUM AND CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased to state:

(a) whether four employees of the Namrup Fertiliser Factory, Assam and six employees of the Gorakhpur Fertiliser Plant were victimised during the emergency; and

(b) if so, steps taken by Government to reinstate them in service?

THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI H. N. BAHUGUNA): (a) and (b). Four employees of the Namrup Fertilizer Factory were arrested under MISA. They have

since been reinstated with full benefits including continuity of service and seniority.

Services of 6 employees of the Gorakhpur Fertilizer Plant were terminated on account of absenteeism. Four of these employees are also alleged to have been involved in a murder case and they have not been considered for reinstatement. Of the remaining two, one person has been reinstated and the case of the other is being reviewed by the FCI.

Issue of Free Railway Passes to Different People

197. SHRI MADHU LIMAYE: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) if it was the practice of the Railway Board under the previous Government to issue free railway passes to different people;

(b) if so, the number of passes issued and the class of free railway travel permitted under them;

(c) whether the new Government have since decided to cancel these passes altogether or to lay down fresh criteria for the issuance of such passes; and

(d) if so, the details of the decision taken in this regard?

THE MINISTER OF RAILWAYS (PROF. MADHU DANDAVATE):

(a) Yes, it was the practice to issue complimentary passes, with the approval of the Minister.

(b) Number of Passes	Class of Passes
228	Ist
41	IInd

(c) Instructions have been issued not to renew the old complimentary passes after their date of expiry. The renewal of old passes and the issue of fresh passes will be done only on the basis of norms and criteria that are being formulated.

(d) Does not arise.

बोगम कम्पनियों के बारे में शिकायतें

198. श्री सुरेन्द्र विक्कम : क्या बिधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन्हें बोगम कम्पनियों के बारे में मंसूद मदम्यों के पत्रों के साथ 26-3-77 से 15-5-77 तक की शिकायतों में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं ; और

(ख) क्या इस बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराये जाने के आदेश दिये गये थे ?

शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री (डा० प्रताप चन्द्र चुन्वर) : (क) यह स्पष्ट नहीं है कि माननीय मदम्य का "बोगम कम्पनियों" शब्दों में क्या अर्थ है। उन बोगम कम्पनियों, जो मिथ्या या बनाबूटी कम्पनियों की परिभाषा में ली गई हैं, के विषय कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) उत्पन्न नहीं होता।

Rail Link for Town of Hazaribagh

199. DR. B. N. SINGH: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether there is a proposal to connect the town of Hazaribagh with railway line; and

(b) whether considering the importance of the area, which abounds in